आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
08.01.2020		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-171/2019

राज्य

बनाम

1. इस्तरूण, पिता-मो0 इसमाईल, सा0-सहनगांव, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया। (जप्त MOTORCYCLE NO.- BR11AK-1693 के स्वामी)

.... *विपक्षी*

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **रौटा थाना कांड सं0-64/2019 दिनांक 11.06.2019** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 2644/हि0शा0 दिनांक-17.07.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 11.06.2019 को ग्राम-कटहलबाड़ी स्थित सड़क के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन के डिक्की से ROYL STAG WHISKY का 02 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0 ली0 का) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी को अंचल अधिकारी, अमौर के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया, जिसके आलोक में विपक्षी द्वारा दिनांक 24.09.19 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी गई, परन्तु कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया। पुनः दिनांक 11.10.19 को विपक्षी द्वारा समय की मांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 25.10.19 की सुनवाई में भी विपक्षी अनुपस्थित रहे, जिन्हें कारणपृच्छा समर्पित करने हेतु अंतिम मौका दिया गया। इसके बाद इस वाद की निर्धारित सुनवाई दिनांक 22.11.19, 10.12.19 एवं 31.12.19 को विपक्षी अनुपस्थित रहे। दिनांक 21.12.19 की सुनवाई में CWJc No.-17450/2019 इस्तरूण

बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.19 के आलोक में में विपक्षी वाहन मालिक को पुनः एक अंतिम मौका देते हुए दिनांक 08.01.2020 की सुनवाई निर्धारित की गई।

आज (दिनांक 08.01.2020) को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारणपृच्छा समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विपक्षी के पति-मो0 असलम को ग्रामीण राजनीति के तहत् अभियुक्त बनाया गया है, जो वर्त्तमान में जमानत पर हैं। विपक्षी के पति गरीब मजदूर हैं, जो मजदूरी करने के लिए उसी गाड़ी से जाते थे, शराब बेचने एवं गैरकानूनी कार्य नहीं करते हैं। इस वाद में झूठा फंसाया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में **CWJC No.-17450/2019** दायर किया गया है, जो वर्त्तमान में लंबित है। विपक्षी द्वारा राजसात की प्रक्रिया बन्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी वाहन मालिक से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि जप्त वाहन के डिक्की से 02 बोतल अवैध शराब बरामद किया गया है। इस प्रकार जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया जा रहा था। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त वाहन MOTORCYCLE NO.-BR11AK-1693** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।